

Order Sheet [Contd]

Case No 115/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-04-2017	<p>आवेदक की ओर से श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क्र० 55/2017 धारा 7(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं धारा 3/7 ई.सी. एक्ट की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक की ओर से अधि. श्री के०सी० उपाध्याय द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों से मिलकर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जबकि उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक कृषि पेशा व्यक्ति है और वर्तमान में कृषि का कार्यत चल रहा है, यदि उसे उक्त झूठे अपराध में गिरफ्तार किया गया तो उसके परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक वार्ड न० 16 गोहद जिला भिण्ड का स्थाई निवासी है जहाँ कि उसकी चल अचल सम्पत्ति स्थापित है। वह अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित अग्रिम प्रतिभूति पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से इन तर्कों पर बल दिया है कि प्रकरण में पुलिस आवेदक/अभियुक्त को ढूँढ रही है और उसे गिरफ्तार करना चाहती है। अतः उसे अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त पर प्रारंभ में प्रकरण खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दिनांक 19.03.2017 को छोड़ा गया है। थाना गोहद की ओर से जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पर अपराध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत न होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत पाया</p>	

गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का अपराध 07 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दण्डनीय है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत दिनेश कुमार दुवे एवं अन्य वि0 म0प्र0 राज्य 2001(1) एम.पी.एच.टी. 213 में अपना स्पष्ट अभिमत दिया है कि आदेश दिनांक 26.07.2000 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध जमानती होने की अधिसूचना प्रवृत्त नहीं रही है और ऐसी स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत अपराध जमानती है। इस संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय के अन्य न्यायिक दृष्टांत संतोष शहरी वि0 म0प्र0 राज्य 2015(2) एम.पी. व्हीकली नोट 110 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा 10(क) के उपबंध बताए विधि अनुसार अजमानती नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में आरोपित अपराध जमानती प्रकृति का है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दोनों न्यायिक दृष्टांतों में उक्त प्रकरण में अपराध जमानती होने से दं.प्र.सं. की धारा 438 का आवेदनपत्र प्रचलनशील न होने संबंधी अभिमत भी दिया है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में प्रचलनशील न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

प्रतिलिपि,

पुलिस थाना गोहद की ओर सूचनाथ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)